



बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड  
Bihar State Power (Holding) Company Limited

बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)  
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of HR & Administration)  
TIN/VAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495

कार्यालय आदेश संख्या—.....1954....., पटना /

दिनांक 22.10.2018

H-III/Empanelment-EO/FSO-2011/2018

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 335 दिनांक 05/05/2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में निम्नलिखित आवेदकों को संचालन पदाधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है:-

क्रम संख्या	आवेदको की विवरणी	पूर्व के सेवा संबंधित विवरणी	सम्पर्क विवरणी
1	2	3	4
1	नाम— श्री राम नारायण प्रसाद पिता का नाम— स्व० विश्वनाथ साह जन्मतिथि— 03-Jan-56 उम्र— 62 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— वि०अ०अ० (चालू प्रभार) सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Jan-16 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— बि०स्टे०पा०जे०कं० लि०	पत्राचार पता—Flat No. A/407, Moti Apartment, Near- Ambedkar Dental College, P.S. Rupaspur, Patna, Bihar Pin-801503 मोबाईल नं०— 7631597079 ईमेल—ramnarayanprasad006@gmail.com
2	नाम— श्री सुनील कुमार पिता का नाम— स्व० राम चन्द्र प्रसाद जन्मतिथि— 06-Jan-58 उम्र— 60 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— वरीय प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Jan-18 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— वित्त एवं लेख बी०एस०पी०एस०सी०एल०	पत्राचार पता— पलैट सं०-1/सी, ब्लॉक-बी, शान्ति लोक अपार्टमेंट, बेली रोड, शेखपूरा, पीलर संख्या 75 के नजदीक, पटना-800014 मोबाईल नं०— 9835822555/ 7970670455 ईमेल— 58kumars@gmail.com
3	नाम— श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता का नाम— स्व० हरि प्रसाद सिंह जन्मतिथि— 15-Jul-57 उम्र— 60 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— विशेष सचिव सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Jul-17 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार	पत्राचार पता— मकान सं०- 28, रोड नं०-5, पूर्वी पटेलनगर, गाँधी मूर्ति पटना-23 मोबाईल नं०— 9431427053/ 7991183425 ईमेल— rajpsingh57@gmail.com
4	नाम— श्री अजय कुमार सिंहा पिता का नाम— स्व० परमानन्द शरण सिन्हा जन्मतिथि— 24-Sep-55 उम्र— 62 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— अपर सचिव-सह-आयुक्त के सचिव, पटना सेवा निवृत्ति की तिथि— 30-Sep-15 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— सामान्य प्रशासन विभाग	पत्राचार पता— ए/143, कंकड़बाग हाउसिंग कॉलनी, यशोदा देवी पथ, पटना-800020 मोबाईल नं०— 0612-2352795/ 9815093318 ईमेल— sinhajaysinha@gmail.com
5	नाम— श्री राजनाथ सिंह पिता का नाम— स्व० करमू सिंह जन्मतिथि— 02-Aug-57 उम्र— 60 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— वि०का०अभि० सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Aug-17 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— सा०बि०पा०डि०कं० लि०	पत्राचार पता— राजनाथ सिंह, चौधरी टोला, टेकारी रोड, पत्थर की मस्जिद, महेन्दू पटना-800006 मोबाईल नं०— 9934579645/ 8210197828 ईमेल— rajnathsingh12135@gmail.com
6	नाम— श्री मुकुल कुमार पाण्डेय पिता का नाम— स्व० भूप नारायण पाण्डे जन्मतिथि— 12-Jan-55 उम्र— 63 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— संयुक्त सचिव, सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Jan-15 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	पत्राचार पता— मुकुल कुमार पाण्डे, उडी, सविता अपार्टमेंट्स, अल्पना मार्केट, पटना-13 मोबाईल नं०— 9955148420 ईमेल—mukulumarpandey055@gmail.com
7	नाम— श्री सुरेश प्रसाद सिंह पिता का नाम— स्व० रामजी सिंह जन्मतिथि— 04-May-58 उम्र— 59 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— मुख्य अभियन्ता (सामान्य) सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-May-18 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०	पत्राचार पता— सुरेश प्रसाद सिंह, मारफत ब्व श्री ब्रह्मदेव सिंह, मकान संख्या-51, मुहल्ला-इद्रपुरी रोड नं०-3ए, पो० केशरीनगर, पटना-800024 मोबाईल नं०— 8292994420 ईमेल—sureshprasadsingh947@gmail.com
8	नाम— श्री पारस नाथ सिंह पिता का नाम— स्व० रामाश्रय सिंह जन्मतिथि— 09-Dec-54 उम्र— 63 वर्ष	सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद— संयुक्त सचिव, विभागीय जॉब सेवा निवृत्ति की तिथि— 31-Dec-14 सेवा निवृत्ति के पूर्व के विभाग का नाम— अपर समाहर्ता-सह-संयुक्त सचिव, विभागीय जॉब सीतामढ़ी	पत्राचार पता— रामेष्ट कुंज, जीरो नं० रोड, शिवपुरी, पटना-800023 मोबाईल नं०— 9431424288 ईमेल—

2- उपर्युक्त आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सूचीबद्ध किया जाता है:-

- (i) कार्य आवंटन हेतु इस सूची की वैद्यता तीन वर्षों तक या अधिकतम 67 वर्ष की उम्र तक होगी। सूची में अंकित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कार्य का आवंटन सभी अनुषंगी कम्पनियों के अनुशासनिक प्राधिकार करेंगे एवं तत्संबंधी भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार करेंगे।
- (ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचाधीन विभागीय कार्यवाही के दौरान प्राप्त अथवा संकलित सभी कागजात/सूचना/डाटा को कार्य आवंटित जांच पदाधिकारी किसी अन्य को विभागीय कार्यवाही के दौरान अथवा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के समय जाँच से संबंधित सभी अभिलेख/रिपोर्ट को अनुशासनिक प्राधिकार को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) कार्य आवंटन के पूर्व कार्यालय प्रधान संबंधित सूचीबद्ध पदाधिकारी/अधिवक्ता से इस आशय की घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे कि -
  - (क) वह जाँचाधीन विभागीय कार्यवाही में न तो गवाह है न ही परिवादी है तथा वह आरोपित सरकारी सेवक का निकट संबंधी अथवा मित्र भी नहीं है।
  - (ख) वह जाँचाधीन विभागीय कार्यवाही के दौरान प्राप्त अथवा संकलित, जाँच से संबंधित कागजात/सूचना/डाटा के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं उसका उपयोग मात्र उसे सुपुर्द संबंधित विभागीय कार्यवाही हेतु ही करेगा।
- (iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन, विभाग/संगठन द्वारा निर्धारित कार्यालय में किया जायेगा, जिसके सुचारु संचालन हेतु कार्यालय से सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित कार्यालय प्रधान का होगा।
- (v) संचालन पदाधिकारी कार्य आवंटन के अधिकतम छः माह के भीतर, संबंधित मामले अपना जाँच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित करेंगे।
- (vi) उपर्युक्त सूचीबद्ध सेवानिवृत्त पदाधिकारी को किसी वर्ष विशेष में 12 से अधिक विभागीय कार्यवाहियों में संचालन पदाधिकारी नहीं बनाया जायेगा। किसी भी समय उन्हें एक साथ चार से अधिक विभागीय कार्यवाहियों के संचालन का दायित्व नहीं सौंपा जायेगा।
- (vii) किसी मामले में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के नाम का चयन सूचीबद्ध सेवानिवृत्त पदाधिकारी में से, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (viii) संचालन पदाधिकारी को भुगतेय मानदेय एवं अन्य भत्ते निम्नवत् होंगे:-

मद / विवरण			प्रति कार्यवाही दर (रूपये में)	
मद	कोटि	विभागीय कार्यवाही पूरा होने में लगा समय	अवर सचिव अथवा समकक्ष पद से अन्यून स्तर के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी	संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद से अन्यून स्तर के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी
मानदेय	I	चार माह के अन्दर	रूपये 36,000/-	रूपये 45,000/-
	II	छः माह के अन्दर	रूपये 30,000/-	रूपये 36,000/-
परिवहन भत्ता			रूपये 15,000/- प्रति कार्यवाही	

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित एवं उसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् ही मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। अगर किसी न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगनादेश अथवा अन्य आदेश के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन संभव नहीं हो तो संचालन पदाधिकारी को उक्त मामले के

कार्य-दायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा एवं मानदेय एवं अन्य भत्तों का भुगतान अनुपातिक आधार पर किया जायेगा। यह दर सूची की वैधता अवधि तक स्थिर रहेगा।

(ix) संचालन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह मानदेय आदि प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि:-

(क) विभागीय कार्यवाही से संबंधित आदेश फलक (सभी मूल अभिलेख एवं अन्य कागजात सहित), जॉच प्रतिवेदन की तीन हस्ताक्षरित प्रति सहित, सुव्यवस्थित रूप में अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

(ख) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली), 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्र/ मार्गदर्शन में विहित प्रक्रिया/विहित प्रावधानों के आलोक में प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप के प्रत्येक मद की जॉच करते हुए, अपने निष्कर्ष का एवं आरोपित सरकारी सेवक द्वारा जॉच प्रक्रिया में उठाये गये प्रक्रियागत आपत्तियों का वर्तमान नियमों एवं दिशा निर्देशों के आलोक में निराकरण करते हुए, का भी उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में किया गया है।

(x) सूचीबद्ध किये जाने के आधार पर नियोजन का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

3- कार्य में एकरूपता रखने के लिए सूचीबद्ध पदाधिकारियों के लिए एकदिवसीय उन्मुखीकरण सत्र का आयोजन सुविधानुसार बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा, जिसकी पूर्व सूचना सभी को अलग से दी जायेगी।

आदेश से,

ह0/—

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)